रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220756
CG-DL-E-30072020-220756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2020/श्रावण 8, 1942
No. 375] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2020/SHRAVANA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा कारबार का विनियमन) नियम, 2015, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा कारबार का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा कारबार का विनियमन) नियम, 2015 में नियम 3 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**4. विशेष आर्थिक क्षेत्र में मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के विनियमन संबंधी उपबंध** - विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा कारबार को विनियमित करने और उसे बढ़ावा देने के प्रयोजन से, प्राधिकरण-

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में एक मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के रूप में कारोबार करने के लिए देश के बाहर से मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती अथवा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42घ के अधीन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञा देगा, अर्थात:-

(i) यह कि, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपना कारबार स्थापित करेगा;

(ii) यह कि, इस अनुमति में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन यथास्थिति, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के भीतर और भारत के बाहर की संस्थाओं को बीमा कारबार के लिए अनुरोध करने/प्राप्त करने/सेवा उपलब्ध कराने के लिए मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने की मंजूरी सम्मिलित है;

(iii) यह कि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के भीतर मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 18 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा;

(ख) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाली सुसंगत विधियों और नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों को निर्देशित करता है।

[फा. सं.14017/32/2019-बीमा-II]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना संख्या सा.का.नि.230(अ) तारीख 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2020

G.S.R. 479(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulation of Insurance Business in Special Economic Zone) Rules, 2015, namely: —

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulation of Insurance Business in Special Economic Zone) (Amendment) Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulation of Insurance Business in Special Economic Zone) Rules, 2015, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely :—

   "4. Provisions regarding regulation of Intermediaries or Insurance Intermediaries in Special Economic Zones. —For the purpose of regulating and promoting the insurance business in Special Economic Zones, the Authority may—

   (a) permit an intermediary or insurance intermediary registered, with the Authority, under section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or an intermediary or insurance intermediary from outside the country, to transact business as an intermediary or insurance intermediary in the Special Economic Zones subject to the following conditions, namely:-

   (i) that, an intermediary or insurance intermediary shall set up its place of business in Special Economic Zones with the prior approval of the Authority;

   (ii) that, such permission may include approval for acting as intermediary or insurance intermediary for soliciting / procuring / servicing of insurance business, as the case may be, from entities within the Special Economic Zones and outside India subject to the provisions of the Special Economic Zones Act,2005 (28 of 2005) and rules made there under;

(iii) that, acting as intermediary or insurance intermediary within the Special Economic Zones shall be in accordance with the guidelines of the Authority, referred to in sub-section (2) of section 18 of the Special Economic Zones Act,2005 (28 of 2005);

(b) direct the intermediaries or insurance intermediaries, acting in Special Economic Zones, to comply with its directions, and with the relevant laws and rules and regulations, to be issued by the Authority, from time to time".

[F. No. 14017/32/2019-Ins. II]

LALIT KUMAR, Economic Adviser

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 230(E), dated the 27th March, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.07.30 18:35:35 +05'30'